बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

!! संकल्प !!

सं0सं0–निग/सारा–6(मं०नि०) –04/2007 पटना, दिनांक :–

श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल, लखीसराय, सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में योजना संख्या–4/2005–06 एवं योजना संख्या–13/2005–06 के तहत कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता के लिए दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–89/2006 में दिनांक 09.12.06 को न्यायिक हिरासत में लिया गया। तदालोक में विभागीय अधिसूचना सं0 2293 दिनांक 23.02.07 द्वारा श्री सिन्हा को दिनांक 09.12.06 के प्रभाव से निलंबित किया गया। न्यायिक हिरासत से मुक्ति के पश्चात अधिसूचना सं0 9560 दिनांक 14.08.07 द्वारा दिनांक 25.06.07 के प्रभाव से इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए अधिसूचना सं0 9569 दिनांक 14.08.07 द्वारा पुनः अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। उक्त निगरानी थाना काण्ड में श्री सिन्हा के विरूद्ध विधि विभाग के आदेश संख्या–3101 दिनांक 06.07.07 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

(2) साथ–हीं आलोच्य कार्य योजना सं0– 4/2005–06 एवं योजना संख्या–13/2005–06 में बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप क्रमशः 3,81,370/– रू0 एवं 9,59,572/– रू0 के सरकारी राशि के गबन किये जाने संबंधी आरोपों को प्रपत्र ''क'' के तहत गठित करते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की मांग की गई।

(3) श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरांत इसे स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति तथा मंत्रिपरिषद से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत विभागीय अधिसूचना सं0 10910 दिनांक 26.07.10 के द्वारा इनके विरूद्ध ''तात्कालिक प्रभाव से सेवा से मुक्त किये जाने'' का दण्ड संसूचित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा के उपरांत विचारणीय नहीं पाये जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं0 7320 दिनांक 27.06.11 के द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

(4) उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा C.W.J.C. No- 11703/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.02.19 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के तहत संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.07.08, विभागीय दण्डादेश अधिसूचना सं0 10910 दिनांक 26.07.10 एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना सं0 7320 दिनांक 27.06.11 को quashed कर दिया गया है एवं नये सिरे से मामले की जॉच किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकार को remanded back किया गया हैं।

(5) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक वाद में दिनांक–01.02.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–5046(S) दिनांक–27.05.2019 द्वारा श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल लखीसराय सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध पूर्व गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

(6) विभागीय कार्यवाही के संचालन हतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के अधीन **श्री रमेश कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, पथ संधारण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **श्री अविनाश झा, सहायक अभियंता (मुख्य अभियंता उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त)** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(7) श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल, लखीसराय, सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश के प्राप्ति के दस कार्यदिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक(आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रतियाँ एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-11703/2012 में दिनांक–01.02.2019 को पारित न्यायादेश) की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **सं0सं0–निग/सारा–6(मं०नि०) –04/2007** पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रतियाँ एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-11703/2012 में दिनांक–01.02.2019 को पारित न्यायादेश सहित **श्री रमेश कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, पथ संधारण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के Observation के आलोक में अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाय तथा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।
अनु0–यथोक्त

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **सं0सं0–निग/सारा–6(मं०नि०) –04/2007** पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रतियाँ एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.- 11703/2012 में दिनांक–01.02.2019 को पारित न्यायादेश सहित **श्री अविनाश झा, सहायक अभियंता (मुख्य अभियंता उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त) –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी**,/श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल लखीसराय सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6800 (5) पटना, दिनांक :– 25/7/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

24/7